राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

(1965-75)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग
(गृह मंत्रालय) नई दिल्ली

"राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है"।

*** महात्मा गांधी.

"हिन्दी स्वयं अपनी ताक़त से बढ़ेगी"।

*** पं० जवाहर लाल नेहरू

"यह सच है कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नए विचार उससे पैदा नहीं होते, नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही निकल सकते हैं। इसलिए हमें भारत की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है और हिन्दी का तो एक विशेष स्थान है ही। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के सभी लोग अगर हिन्दी न बोल सकें तो कम से कम समझ तो सकें। मैं समझती हूँ, यह काम आगे बढ़ रहा है।

इतने बड़े देश में जहाँ इतनी भाषाएँ हैं, वहाँ देश की एकता के लिए आवश्यक है कि कोई भाषा ऐसी हो, जिसे सब बोल सकें, जो एक कड़ी की तरह सबको मिला जुला कर रख सके। इसीलिए हिन्दी को बढ़ाना हम सब का काम है।"

इन्दिरा गांधी

गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER
INDIA

नई दिल्ली
24 नवम्बर, 1975

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग सरकारी कामकाज में हुई हिन्दी के प्रयोग की प्रगति के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है। मुझे आशा है कि इस प्रकाशन से इस संबंध में पूरी जानकारी मिल सकेगी और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ह०
(के० ब्रह्मानंद रेड्डि)

मंत्री
गृह मंत्रालय
कार्मिक और संसदीय कार्य विभाग
भारत

MINISTER
MINISTRY OF HOME,
PERSONNEL & PARLIAMENTARY AFFAIRS
INDIA

नई दिल्ली
दिनांक 22 नवम्बर, 1975

अपनी बात

राजभाषा हिन्दी के इतिहास में पिछले 10 साल खास अहमियत रखते हैं। 26 जनवरी, 1965 से राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। 1967 में उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल हुआ और उसी साल एक सरकारी भाषा संकल्प भी संसद ने स्वीकार किया। उस भाषा संकल्प में हिन्दी की प्रगति, विकास, प्रसार और सरकारी कामकाज में इसके इस्तेमाल आदि की खास जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई। तब से एक लम्बी द्विभाषिक स्थिति चालू हो गई, जिससे हिन्दी में काम करने के लिए और उस के इस्तेमाल के दायरे को धीरे धीरे बढ़ाने की हमने तैयारियाँ कीं, कार्यक्रम बनाए और उनको कार्यान्वित करने की पूरी तौर पर कोशिश भी की जा रही है। इस काम में पूरी तेजी लाने के लिये हाल में एक स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनाया गया है, जो भारत सरकार के एक सचिव के अधीन काम कर रहा है।

यह जरूर है कि हम इस मामले में उतना नहीं कर पाए हैं जितना हम चाहते थे। फिर भी इस पुस्तिका को पढ़ने से पता चलेगा कि हिन्दी के प्रयोग में काफी तरक्की हुई है। जो भी कमियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश जारी है। हमें पूरा भरोसा है कि देर सवेर हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुँचेंगे।

ओम मेहता

(ओम मेहता)

प्रस्तावना :

भारतवर्ष अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों और अनेक जातियों का देश है, किन्तु इस अनेकता में एक अद्भुत एकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः कश्मीर से तमिलनाडु और गुजरात से नागालैंड तक का सम्पूर्ण भूभाग सांस्कृतिक एकता के एक ही सूत्र में आबद्ध है। यद्यपि गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल होते हैं, किन्तु वे सब मिलकर एक ही छटा बिखराते हैं। इस तथ्य को हमारे संविधान निर्माताओं ने ध्यान में रखा था और इसीलिये राष्ट्र की सभी भाषाओं को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए उनमें सम्पर्क स्थापित करने तथा अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिये उन्होंने एक भाषा (हिन्दी) को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

संविधान में हिन्दी :

भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है। इसका कारण यह नहीं है कि वह सभी भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ अथवा सब से पुरानी है, बल्कि इसलिए कि उसका ही देश में सब से अधिक प्रचार और प्रसार है। भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वह हिन्दी का विकास इस प्रकार करे कि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का इस्तेमाल करने से प्रशासनिक कार्यों में असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे और इस बीच हिन्दी को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल करने की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाएँ। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद एक आयोग इस बात की जाँच करने के लिए बनाया जाना था कि सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग कहाँ तक बढ़ाया जाए और अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ तक कम किया जाए। इस के अनुसार सन् 1955 में एक राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, जिसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई। आयोग और समिति, दोनों ने यह इच्छा प्रकट की कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, किन्तु हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रारम्भिक उपाय किए जाएँ।

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश द्वारा इन प्रारम्भिक उपायों को पूरा करने के लिये व्यवस्था की गई।

राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 :

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सन् 1963 में संसद् द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया। उसकी धारा 3 में यह व्यवस्था की गई कि संघ के जिन कामों के लिए 26 जनवरी, 1965 के पहले अंग्रेजी इस्तेमाल की जाती थी, उन सब के लिए उस तारीख के बाद भी हिन्दी के अलावा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में बदली हुई परिस्थितियों के कारण 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967 पारित किया गया। संशोधित अधिनियम के अनुसार हर एक सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भाषा में कर सकता है। लेकिन (1) संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्तियों (2) संसद् में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और सरकारी कागज पत्रों तथा (3) संविदाओं, करारों, लाइसेंसों, परमिटों, टेंडरों के नोटिसों और फार्मों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है।

संशोधित अधिनियम के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल तब तक चलता रहेगा जब तक इसके प्रयोग को खत्म करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के विधान मण्डल संकल्प न पारित करें और उन संकल्पों के आधार पर संसद् के दोनों सदन भी ऐसा ही न करें।

प्रशासनिक अनुदेश :

उपर्युक्त पैरा में दिए गए कागज पत्रों के लिए तो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कानूनन् अनिवार्य है ही, समय समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार ऐसे और बहुत से काम हैं जिन के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे फार्म, रबड़ की मोहरें, नामपट्ट (साइन बोर्ड), लेटर हेड, सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण-पत्र आदि। अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापन भी दोनों ही भाषाओं में होने चाहिए। इनके अलावा जिन सम्मेलनों में हिन्दी भाषी राज्यों के मंत्री और गैर सरकारी सदस्य भाग ले रहे हों, उनकी तथा हिन्दी से संबंधित मामलों पर होने वाले सम्मेलनों (यदि गैर सरकारी व्यक्ति आमंत्रित हों) की कार्यसूची

की टिप्पणियाँ और कार्यवृत्त भी दोनों ही भाषाओं में जारी किए जाने चाहिए। सरकारी कोड और मैनुअल दोनों भाषाओं में तो हों ही, उन्हें डिग्लाट फार्म में (अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में आमने सामने) छापना भी जरूरी है।

धीरे धीरे उन प्रयोजनों का भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है जिन में केवल हिन्दी का ही इस्तेमाल होना है। अब हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देना जरूरी है और हिन्दी भाषी क्षेत्रों की जनता से पत्र व्यवहार भी। यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब सरकारों एवं दिल्ली प्रशासन को मूल पत्र हिन्दी में ही भेजे जायें।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों पर अधिक जोर रहा है क्योंकि वहाँ इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है जितनी अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए है। वस्तुत: 1973 तक ये कार्यालय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से (कुछ खास मदों को छोड़ कर) करीब-करीब छूटे से ही रहे हैं। 1973 के बाद से धीरे धीरे इन में भी हिन्दी के प्रयोग के लिए कार्रवाई की जा रही है और थोड़ा बहुत प्रयोग हो भी रहा है।

हिन्दी की प्रगति के लिए वार्षिक कार्यक्रम एवं मूल्यांकन रिपोर्ट :

1967 के संशोधन अधिनियम के साथ ही साथ एक भाषा संकल्प भी स्वीकृत किया गया है जिसके अनुसार संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग और हिन्दी के प्रचार, प्रसार तथा विकास आदि के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। पहला वार्षिक कार्यक्रम सन् 1968 में तैयार किया गया था और तब से लेकर अब तक कुल 8 वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं। (1973–74, 1974–75 के लिए एक द्विवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया था)। इस समय 1975–76 के कार्यक्रम का कार्यान्वयन चल रहा है।

भाषा संकल्प में यह भी कहा गया है कि हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए बनाए गए विस्तृत कार्यक्रम तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद् के दोनों सदनों के सभापटल पर प्रस्तुत की जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। अब तक 5 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें संसद् में पेश की जा चुकी हैं और छठवीं रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए दफ्तर के समय में हिन्दी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। इसके लिए एक एक वर्ष की अवधि के प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ नाम के 3 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जिनका स्तर क्रमशः पाँचवीं, आठवीं और दसवीं कक्षा के बराबर है। इस समय पूरे देश में 157 केन्द्रों (पूर्णकालिक और अंशकालिक) में हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (देखें भारत का मानचित्र)

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को भाषा वर्ग के अनुसार दो तीन महीनों में पढ़ाने के लिए 1970 से एक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तथा परिचालन स्टाफ़ और जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए 1968 से पत्राचार पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है।

निर्धारित परीक्षाएँ पास करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है तथा अच्छे अंक प्राप्त करने पर 100 रुपये, 200 रुपये तथा 300 रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जो कर्मचारी बिना किसी कक्षा में सम्मिलित हुए तैयारी करके परीक्षा पास करता है, उसे एकमुश्त रकम भी पुरस्कार के रूप में दी जाती है।

मार्च 1965 से मार्च 1975 की अवधि में उपर्युक्त परीक्षाओं में कुल 1,72,085 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएँ पास की हैं। इन्हें मिलाकर हिन्दी शिक्षण योजना के आरम्भ से लेकर अब तक कुल 3,20,385 सरकारी कर्मचारी विभिन्न परीक्षाएँ पास कर चुके हैं। (चार्ट सं० 1 और 2)

इनके अलावा केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्यवस्था की गई है। अधिकारीगण अपने विभागीय प्रशिक्षण के साथ ही साथ हिन्दी का प्रशिक्षण भी यहाँ प्राप्त करते हैं। भारतीय लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा (प्रत्यक्ष कर), भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरी सेवा इत्यादि के अधिकारियों के लिए भी विभागीय तौर पर हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध किया गया हैं।

चार्ट सं - 1

हिन्दी शिक्षण की प्रगति 1965-75.

संख्या हज़ार में

चार्ट सं-2

हिन्दी भाषा, टाइपिंग और स्टेनोग्राफी शिक्षण की समग्र स्थिति, मार्च, 1975.

हिन्दी शिक्षण योजना
पूर्णकालिक केन्द्र ● 79
अंशकालिक केन्द्र + 78
हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी केन्द्र ▲ 6
श्रीनगर
जम्मू
अमृतसर
जालंधर
चण्डीगढ़
अम्बाला
देहरादून
सहारनपुर
काशीपुर
दिल्ली
फरीदाबाद
इज्जतनगर
शाहजहाँपुर
मथुरा
आगरा
जयपुर
भरतपुर
जोधपुर
अजमेर
लखनऊ
गोरखपुर
कानपुर
झाँसी
इलाहाबाद
वाराणसी
मुगलसराय
कोटा
बीना
भोपाल
कटनी
बिलासपुर
राँची
जबलपुर
रायपुर
अहमदाबाद
रतलाम
राजकोट
वडोदा
भावनगर
सूरत
आमला
इटारसी
रवण्डवा
छिंदवाड़ा
मानाशिविर
राउरकेला
बालेश्वर
भुसावल
नागपुर
मनमाड
नासिक
जुनारदेव
भुवनेश्वर
कटक
पुरी
बम्बई
लोनावला
पूना
शोलापुर
बीजापुर
हैदराबाद
गुन्टूर
विजयवाड़ा
काकीनारा
पंजिम
बेलगाँव
धारवाड़
हुबली
कुरनूल
गुन्तकल
नेलौर
कड़पा
मैसूर
मद्रास
मंगलौर
बंगलौर
पाडिचेरी
कालीकट
कोयम्बटूर
तंजौर
कोचीन
मदुरै
तूतीकोरन
तिरुनेल्वेली
त्रिवेन्द्रम
तिरुवनन्तपुरम्
कवरत्ती
पोर्टब्लेयर
पटना
समस्तीपुर
कटिहार
धनबाद
चितरंजन
आसनसोल
कलकत्ता
खड़गपुर
सिलीगुड़ी
गौहाटी
मालीगाँव
शिलांग
लुमडिंग
करीमगंज
डिब्रूगढ़
विशाखापतनम्
वाल्टेयर
राजमुंद्री
धरमपुरा
जगदलपुर
ब्रह्मपुर

हिन्दी कार्यशाला :

हिन्दी में काम करने के इच्छुक कर्मचारियों तथा अधिकारियों की झिझक दूर करने के लिए और कार्यालयीन हिन्दी का अभ्यास कराने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1973 में सभी मंत्रालयों और विभागों को हिन्दी कार्यशालाएँ चलाने के लिए अनुदेश दिए गए थे। इन कार्यशालाओं में 1974–75 में 576 अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

हिन्दी टाईपिंग एवं आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) का प्रशिक्षण :

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी टाइपिस्ट एवं आशुलिपिक क्रमशः हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि में प्रशिक्षित हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ प्रमुख शहरों में सन् 1960 से हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस समय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, जबलपुर और कानपुर में हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि सिखाने के केन्द्र हैं। अब तक इन केन्द्रों पर तथा जहाँ केन्द्र नहीं हैं, वहाँ निजी प्रयत्नों से उपर्युक्त परीक्षाएँ पास करने वालों की कुल संख्या क्रमशः 16280 और 3597 है। इनमें से मार्च, 1965 से मार्च, 1975 के बीच 11368 टाइपिस्टों तथा 2093 स्टेनोग्राफ़रों ने उपर्युक्त परीक्षाएँ पास की हैं। (चार्ट सं–3)

हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति :

हिन्दी शिक्षण योजना के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार करने तथा उसको और प्रभावी बनाने के लिए राजभाषा विभाग के वर्तमान सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में सन 1973 में हिन्दी शिक्षण योजना पुनरीक्षण समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में योजना के लिए व्यावहारिक तथा प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम सुझाए हैं और योजना के प्रशासनिक ढाँचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिशें की हैं। इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई की जा रही है।

चार्ट सं -3

हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि शिक्षण की प्रगति 1965_75

शब्दावली निर्माण :

1965–75 के दशक में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने (1961 में स्थापित) लगभग सभी विषयों अर्थात् विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, प्रशासन, रक्षा, आयुर्विज्ञान, कृषि आदि की शब्दावलियाँ प्रकाशित कर दी हैं। अब तक तैयार की गई शब्दावलियों की कुल संख्या तीन लाख से भी अधिक है। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी) आयोग ने 1970 में लगभग 10 हजार अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी समानार्थी शब्दों की विधि शब्दावली प्रकाशित की है।

शब्दकोशों का निर्माण :

शब्दावली निर्माण के साथ साथ भारत सरकार ने विश्वकोश और शब्दकोशों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है। भारत सरकार के अनुदान से काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 12 खण्डों में हिन्दी विश्वकोश का प्रकाशन किया है। इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को भी 'मानक अंग्रेजी-हिन्दी कोश' के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

विश्वविद्यालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे कर त्रिभाषिक शब्द कोश तैयार कराए जा रहे हैं। इस समय ऐसे 24 शब्दकोशों का निर्माण कार्य चल रहा है।

स्कूली विद्यार्थियों की सहायता के लिए 26 द्विभाषिक जेबी शब्दकोश बनाने की भी योजना शुरू की गई है। प्रत्येक शब्दकोश की शब्द संख्या 10,000 रखने का प्रस्ताव है। कोश बनाने के निदेशक सिद्धान्त अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसे प्रकाशकों तथा हिन्दी सेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से तैयार करा कर प्रकाशित किया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं का एक कोश बनाने की योजना पर भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें हिन्दी के 7500 मूल शब्दों तथा वाक्यांशों के सभी भारतीय भाषाओं में पर्याय दिए जाएँगे।

प्रशासनिक तथा सांविधिक [illegible]

सांविधिक [illegible] और अधिनियमों आ[illegible] के अधीन राजभाषा (विधायी)

प्रशासनिक प्रकार के सभी मैनुअलों, फार्मों आदि का हिन्दी अनुवाद पहले शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय करता था किन्तु मार्च, 1971 से यह काम गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो कर रहा है।

अधिप्रमाणित अधिनियमों के प्रकाशन की प्रगति

राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा किया गया अनुवाद कार्य :

राजभाषा (विधायी) आयोग ने जनवरी, 1965 से सितम्बर, 1975 तक लगभग 700 केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी पाठ तैयार कर लिया है। इनमें से लगभग 500 अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन भारत के राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित कर दिए गए हैं। (चार्ट संख्या 4)

जिन केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठ की अधिक माँग होती है, उनके द्विभाषिक संस्करण भी प्रकाशित किए जाते हैं। इस दशक के दौरान लगभग 200 अधिनियमों के द्विभाषिक संस्करण छप चुके हैं। 1975 से अधिनियमों के हिन्दी में विधायी इतिहास भी छापे जा रहे हैं।

विधेयक :

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार संसद् में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों के अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका अनुवाद भी पेश करना चाहिए। सन् 1970 से यह धारा अनौपचारिक रूप से लागू कर दी गई है और अब सभी विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के साथ साथ हिन्दी पाठ भी संसद् में प्रस्तुत किए जाते हैं।

नियमों, विनियमों, आदेशों आदि के प्राधिकृत पाठ :

राजभाषा अधिनियम की धारा 5(1) (ख) के अधीन नियमों, विनियमों, आदेशों आदि का प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित किया जाता है। 1965 से सितम्बर, 1975 तक नियमों, विनियमों तथा आदेशों के 4050 पृष्ठों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

अधिसूचना, निविदा, विलेख, करार, आदि का अनुवाद :

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार कुछ कागज पत्रों को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में जारी करना जरूरी होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस दशक में कानूनी प्रकार के लगभग 40 हजार पृष्ठों का अनुवाद किया जा चुका है। इसके अलावा आयोग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों आदि के लिए ठेके, करारों, निविदाओं, विक्रय विलेखों आदि कानूनी दस्तावेज़ों के हिन्दी पाठ भी तैयार करता है। संसद् के समक्ष रखे जाने वाले विधि मंत्रालय से सम्बन्धित सभी कागज पत्रों का

अनुवाद भी यहीं होता है। उपर्युक्त क्षेत्रों में आने वाली लगभग 26,000 पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद पिछले दस वर्षों में किया गया है।

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका :

वादजनित विधि से संबंधित साहित्य के सृजन के लिए उपर्युक्त मासिक निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। इनकी ग्राहक संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

एल एल० बी० की कक्षाओं के लिए हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन :

स्वतन्त्र रूप से निजी क्षेत्र में विधि की पुस्तकें हिन्दी में अधिक से अधिक प्रकाशित हों, इस उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना 1971 से आरम्भ की गई है। साथ ही विधि मंत्रालय ने स्वयं भी पुस्तकें लिखाने तथा प्रकाशित करने की व्यवस्था की है।

प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद :

अब तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा कुल 2,33,000 मानक पृष्ठों के प्रशासनिक साहित्य को अनूदित किया जा चुका है।

डाकतार बोर्ड, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अपने प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद स्वयं करते रहे हैं और उसकी वेटिंग केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में होती थी। अब रक्षा मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के भी इस प्रकार के साहित्य के अनुवाद का कुछ काम ब्यूरो के पास है। डाकतार विभाग ने 22 नियम-पुस्तकों का अनुवाद कर लिया है, जिनमें से 12 प्रकाशित हो चुकी हैं। रेल मंत्रालय 300 से अधिक नियम पुस्तकों को द्विभाषिक रूप में जारी कर चुका है। रक्षा मंत्रालय में भी 226 नियम पुस्तकों आदि का अनुवाद हो चुका है, जिनमें से 106 प्रकाशित हो चुकी हैं।

प्रशासनिक और सांविधिक सहित्य को छोड़कर अन्य कागज-पत्रों के अनुवाद :

सभी मंत्रालय और विभाग इस प्रकार का अपना काम स्वयं करते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो या राजभाषा (विधायी) आयोग की भी सहायता उपलब्ध करा दी जाती है।

हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था :

ज़ाहिर है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए देवनागरी लिपि के टाइपराइटर चाहिए। इसीलिए सभी मंत्रालयों, दफ्तरों आदि से अपनी जरूरत के मुताबिक देवनागरी लिपि के टाइपराइटर खरीदने के लिए कहा गया था। चालू वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में हिन्दी का एक भी टाइपराइटर नहीं है, उन सभी को कम से कम एक टाइपराइटर जरुर खरीदना चाहिए। अब यह आदेश दिया गया है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ एवं अण्डमान द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्रों में स्थित कार्यालय 1975-76 में खरीदे जाने वाले टाइपराइटरों के 50 प्रतिशत हिन्दी के टाइपराइटर खरीदें और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालय भी 25 प्रतिशत खरीदें। प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में मार्च, 1975 तक 932 और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में लगभग 3200 हिन्दी टाइपराइटर खरीदे जा चुके थे।

सभी कार्यालयों को हिन्दी के टाइपराइटरों के मिलने में दिक्कत न हो, इसके लिए टाइपराइटरों के निर्माता कम्पनियों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में देवनागरी के टाइपराइटर बनाएँ। सन 1974 में 4 नई कम्पनियों को टाइपराइटर बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिए गए थे, जिनमें यह शर्त रखी गई थी कि वे अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत टाइपराइटर भारतीय लिपियों के बनाएँगी। इनमें से 2 कम्पनियों के लेटर आफ इंटेंट रद्द कर दिए गए हैं लेकिन साथ ही दो और कम्पनियों को उपर्युक्त शर्तों पर लगभग 44000 टाइपराइटर प्रतिवर्ष बनाने की अनुमति दी गई है।

हिन्दी सम्बन्धी पदों की व्यवस्था और स्थिति :

द्विभाषिक स्थिति में हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कागज पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए और दफ्तरों में कामकाज को ठीक ढंग से निपटाने के लिए अनुवादकों आदि की जरूरत होती है। 1964 में मंत्रालयों एवं विभागों से कहा गया था कि यदि उनके यहाँ हिन्दी अनुवादकों और अधिकारियों की नियुक्ति न हुई हो, तो, उनके पद बनाए

जाएँ। परिणामस्वरूप बहुत से मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी अधिकारियों और अनुवादकों की नियुक्ति की गई।

1973–75 के प्रोग्राम के अनुसार सभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जिनमें कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक थी, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुवाद करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था करनी थी। जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 100 से कम किन्तु 25 से अधिक थी, वहाँ एक अनुवादक की व्यवस्था होनी थी। ऐसे मंत्रालयों और कार्यालयों आदि में भी हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए। हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी समिति ने निर्णय किया है कि (1) जहाँ हिन्दी का कोई पद रिक्त हो, उसे भरने के लिए और (2) जहाँ हिन्दी के लिए एक भी पद न हो, वहाँ पद बनाने के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी और केवल वित्त मंत्रालय की सहमति काफी होगी।

इस समय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में 63 हिन्दी अधिकारी और 260 हिन्दी अनुवादक काम कर रहे हैं और बहुत से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी इनकी नियुक्ति हो गई है। इस सम्बन्ध में अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में भी कुछ मंत्रालय अपने प्रस्ताव रख चुके हैं और बाकी भी इसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। विभिन्न वेतनमानों में काम करने वाले हिन्दी अनुवादकों एवं हिन्दी अधिकारियों को पदोन्नति की समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से उनका एक केन्द्रीय संवर्ग बनाने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का क्रमिक उपयोग :

जैसा कि पृष्ठ 2–3 पर बताया गया है, हिन्दी का प्रयोग कुछ कागज पत्रों के लिए कानूनन अनिवार्य है और कुछ के लिए आदेशों के अनुसार जरूरी। उनके अलावा अन्य विषयों में भी हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए बराबर हिदायतें दी जाती रही हैं। कुछ खास खास मदों में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

टिप्पण और आलेखन में हिन्दी :

सन् 1965 से चालू वर्तमान द्विभाषिक स्थिति में, प्रत्येक कर्मचारी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदा

चार्ट सं-5

विभिन्न मात्रा में हिन्दी का प्रयोग करने वाले अनुभाग
अनुभागों की संख्या सौ में
7
6
5
4
3
2
1
176
250
359
448
515
534
678
मार्च 1969
मार्च 1970
मार्च 1971
मार्च 1972
मार्च 1973
मार्च 1974
मार्च 1975

लिखने के लिए स्वतंत्र है और यदि उसको दूसरी भाषा में अनुवाद करने की जरूरत पड़े तो उससे स्वयं उसका अनुवाद करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को अपने कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है विभागों और मंत्रालयों के जिन अनुभागों में विभिन्न मात्रा में टिप्पण और आलेखन के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है, उनकी संख्या मार्च, 1969 में केवल 176 थी किन्तु मार्च, 1975 में यह संख्या 678 तक पहुँच गई है। (चार्ट संख्या–5)

वरिष्ठ अधिकारी और हिन्दी :

हिन्दी जानने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर अनुरोध किया गया है कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें, ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का प्रोत्साहन मिले। विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी कामकाज में कुछ न कुछ मात्रा में हिन्दी का प्रयोग करने वाले ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई है। मार्च, 1970 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या 124 थी, जो मार्च, 1975 में बढ़कर 465 हो गई है। (चार्ट सं०–6)

टिप्पण तथा आलेखन में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1-11-1974 से एक नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य मंत्रालयों एवं विभागों में निश्चित संख्या में हिन्दी शब्द लिखने वाले कर्मचारियों को 250 रुपए, 150 रुपए और 75 रुपए तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों और पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 200 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए के पुरस्कार दिए जाएँगे। प्रतियोगियों की संख्या 25 से अधिक होने पर प्रति 10 कर्मचारियों पर 50 रुपए का एक प्रोत्साहन पुरस्कार भी रखा गया है। हिन्दीतर भाषा भाषियों के कार्य के मूल्यांकन में काफी रियायत दी गई है।

पत्राचार में हिन्दी :

यह ब्यौरा पृष्ठ संख्या 2-3 पर दिया जा चुका है कि किन किन कागज पत्रों में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करना

विभिन्न मात्रा में हिन्दी का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ अधिकारी

है। इस संबंध में जुलाई, 1968 से मार्च, 1975 तक की स्थिति इस प्रकार है :—

क्र० सं०	वर्ष	राज्यों से पत्र व्यवहार			जनता से पत्र व्यवहार	
		हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या	हिन्दी में भेजे गए उत्तरों की संख्या	मूल रूप से हिन्दी में भेजे गए पत्रों की संख्या	हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या	हिन्दी में भेजे गए उत्तरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	1968–69 .	26487	08611	—	104287	35706
2	1969–70 .	40177	16283	37584	184258	86151
3	1970–71 .	42791	16751	49552	172489	66400
4	1971–72 .	38114	18198	60145	183494	48765
5	1972–73 .	53965	20819	84448	207297	50495
6	1973–74 .	60945	23201	91229	157868	38530
†7	1974–75 .	58001	27241	85952	154928	40402

†अनंतिम

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार नीचे दिए गए कागज पत्रों को अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों ही भाषाओं में अनिवार्य रूप से जारी करने की व्यवस्था की गई है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर जुलाई 1968 से मार्च, 1975 तक द्विभाषिक रूप में जारी किए गए कागज पत्रों की स्थिति इस प्रकार है :—

क्रम० सं०	कागजात	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75†
1	संकल्प .	117	227	141	416	261	436	244
2	सामान्य आदेश	892	1705	3127	3203	5556	5685	6171
3	नियम .	245	225	280	385	497	375	312
4	अधिसूचना .	6720	9941	11309	16685	15946	12520	12762
5	प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें	59	79	183	98	184	343	196
6	प्रेस विज्ञप्तियाँ	170	388	349	461	238	292	287

†अनंतिम

क्रम० सं०	कागजात	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75†
7	संसद् के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्टें	167	143	84	196	169	920	1021
8	संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात	2720	2866	1217	5312	3836	5705	5450
9	संविदाएँ .	4	13	34	11	61	20	88
10	करार .	4	23	47	8	26	49	463
11	लाइसेंस .	301	921	967	1164	1743	1805	1077
12	परमिट .	—	14	—	—	1	28	17
13	टेंडर माँगने के नोटिस .	10	25	45	77	83	38	36
14	टेंडर के फार्म	1	17	148	9	10	5	103

†अनंतिम ।

प्रतियोगिता परीक्षाएँ—माध्यम के रूप में हिन्दी :

अखिल भारतीय और उच्च सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में एक विषय के रूप में हिन्दी 1961 में ही स्वीकृत की जा चुकी थी। 1968 के भाषा संकल्प में (जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया था) यह कहा गया है कि अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवा सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति दी जाए।

उस संकल्प में यह भी कहा गया है कि साधारणतया संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती-परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतया अपेक्षित होगा। हाँ, विशेष सेवाओं और पदों के विषय में विशिष्ट व्यवस्था की जा सकती है।

इस संकल्प के अनुसरण में कई परीक्षाओं में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। सन् 1969 से अखिल भारतीय और उच्च केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र के उत्तर के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। अन्य पर्चों में इनके उपयोग के प्रश्न पर कोठारी समिति विचार कर रही है। केन्द्रीय सचिवालय के सहायक, लिपिक, आशुलिपिक ग्रेड—2 और 3 तथा अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम मान लिया गया है। मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद और बम्बई के रेल सेवा आयोगों द्वारा तृतीय श्रेणी के गैर तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में मानी जा चुकी है। रेलवे ने कुछ पदों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

विभागीय परीक्षाएँ—माध्यम के रूप में हिन्दी :

भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ विभागीय परीक्षाओं में भी हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की जरूरत महसूस की जाती रही है। अतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान, निबन्ध, अंकगणित, आलेखन आदि जैसे विषयों और जिन विभागीय मैनुअलों, संहिताओं आदि का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध है, उन से सम्बन्धित प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने के लिए 1970 में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का उपयोग

में अब तक रेल, निर्माण और आवास, ऊर्जा, संचार, सूचना और प्रसारण तथा पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालयों और कार्मिक, खान, पुनर्वास, कृषि और सांख्यिकी विभागों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की कुछ विभागीय परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के उपयोग की अनुमति दे दी है। शेष मंत्रालय तथा विभाग भी इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं ।

बोलचाल की भाषा :

अनुवादकों तथा सरकारी कर्मचारियों की यह धारणा रही है कि सरकारी कामकाज में ऐसी हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए जो संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल और परिष्कृत हो। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय से कई अनुदेश जारी किए गए हैं और यह कहा गया है कि हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और यदि आवश्यकता हो, तो अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए। इस बात पर बारबार जोर दिया गया है कि प्रशासन की भाषा सरल, सुबोध और सहज हो। राजभाषा विभाग के अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में जाकर इस नीति को (पृष्ठ 37–43 भी देखें ।) इसके फलस्वरूप कर्मचारियों के मन में हिन्दी के इस्तेमाल के बारे में जो डर या झिझक थी, वह काफी हद तक दूर हो चली है और इससे राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है ।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रचार :

(1) शिक्षकों की नियुक्ति :

हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा मंत्रालय अहिन्दी भाषी राज्यों को अपने अपने स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक भारत सरकार द्वारा राज्यों को लगभग 24,200 हिन्दी शिक्षक नियुक्त करने के लिए पूर्ण सहायता दी गई है।

(2) शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण कालेज स्थापित करके अथवा विद्यमान प्रशिक्षण कालेजों में हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण विंग खोल कर हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। चौथी योजना के अन्त तक हैदराबाद, नैलोर, गौहाटी, त्रिचूर, तिरुअनन्तपुरम्, रायचूर, मैसूर, बगलकोट (कर्नाटक), दीमापुर (नागालैंड), भुवनेश्वर, कटक तथा कलकत्ता में

12 हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण कालेज स्थापित करके प्रतिवर्ष लगभग 1000 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(3) छात्रवृत्तियाँ :

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में मैट्रिकोत्तर स्तर पर हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए काफी अरसे से शिक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक योजना चला रहा है । इस समय लगभग 2000 छात्रवृत्तियाँ प्रतिवर्ष दी जा रही हैं । पाँचवीं योजना के अन्त तक इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर लगभग 2500 प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है ।

(4) पुरस्कार प्रदान करना :

हिन्दी में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए उन लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है । प्रत्येक वर्ष प्रमाण पत्र के साथ साथ 1500 रुपये की राशि का पुरस्कार देने की व्यवस्था है । इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 1973 तक 76 पुरस्कार दिए जा चुके हैं ।

कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्य :

डाकतार विभाग ने यह तय किया है कि हिन्दी और मराठी भाषी क्षेत्रों में रजिस्ट्री पार्सल और मनीआर्डरों की रसीदें देवनागरी में जारी हों । देवनागरी में तार देने की व्यवस्था पहले से ही चल रही है । डाकतार विभाग के निर्णय के अनुसार हिन्दी भाषी इलाकों में बचत बैंकों की पास बुकें भी हिन्दी में लिखी जाने लगी हैं । यह भी निश्चय किया गया है कि लिप्यन्तरण केन्द्रों में रोमन लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हो और इसके लिए डाकियों को देवनागरी लिपि की जानकारी देने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है । हाल ही में डाकतार विभाग ने दिल्ली में हिन्दी की विशेष सेवा शुरू की है, जिसका काफी स्वागत हुआ है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत फोन संख्या- 177 (दिल्ली) पर अंग्रेजी और हिन्दी शब्दों के हिन्दी पर्याय, कहावतों और मुहावरों के अर्थ, मसौदे और टिप्पणियाँ लिखने में मार्गदर्शन, राजभाषा संबंधी विविध आदेशों की जानकारी, हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी सूचना, मंत्रालयों एवं विभागों में हिन्दी के कार्य की प्रगति एवं प्रकाशनों की जानकारी, हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संबंध में सूचना, विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की स्थिति इत्यादि विविध विषयों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

इधर रेल मंत्रालय के कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में तेजी आई है और सभी दिशाओं में हिन्दी का उपयोग बढ़ा है । रेल मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि उनके हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में सारा काम यथासंभव हिन्दी में ही हो और इस निर्णय का कार्यान्वयन भी हो रहा है । कुछ तकनीकी काम भी अब हिन्दी में होने लगे हैं । इस मंत्रालय ने एक नकद पुरस्कार योजना भी चलाई है, जिसके अधीन हिन्दी में अधिकतम काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा । साथ ही एक हिन्दी शील्ड योजना भी शुरू की गई है, जिसके द्वारा रेलवे कार्यालयों को सामूहिक रूप से उत्साहित और प्रेरित किया जाएगा ।

तीनों सेनाओं में 1957 से ही हिन्दी में कमान शब्दावली प्रयुक्त हो रही है । तीनों सेनाओं के सैनिक अधिकारियों के लिए हिन्दी की प्राथमिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जिसका स्तर मिडिल के बराबर हैं । थल सेना में शिक्षा का माध्यम मुख्यतया हिन्दी है । जवानों की पदोन्नति संबंधी प्राथमिक परीक्षाएँ हिन्दी में ही ली जाती हैं । वायु सैनिकों के लिए विभिन्न वायु सेना स्टेशनों पर प्रारंभिक हिन्दी पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । रक्षा मंत्रालय के सभी कार्यालयों आदि में हिन्दी में काम करने की छूट की ओर कर्मचारियों का ध्यान दिलाया गया है ।

भारतीय स्टेट बैंक तथा चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने अपने प्रधान कार्यालयों में हिन्दी कक्षों का गठन कर लिया है । कुछ बैंकों ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी कक्षों का गठन किया है । भारतीय स्टेट बैंक ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय में एक हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त अपने केन्द्रीय कार्यालय में अलग से एक हिन्दी विभाग की भी स्थापना की है ।

सरकारी क्षेत्र के प्राय: सभी बैंक हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपने विज्ञापन जारी करते हैं और हिन्दी पत्रों का उत्तर सामान्यत: हिन्दी में ही देते हैं । अधिकांश बैंकों ने अपने मानक फार्मों को हिन्दी और अंग्रेजी दोंनो में छपवाने की कार्रवाई पूरी कर ली है । सभी बैंक कैश और पे-इन-स्लिपें, आवेदन पत्रों के मानक फार्म, पत्र शीर्ष, लिफाफे आदि द्विभाषिक रूप में छपवा चुके हैं । अब सभी बैंक हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए चेक भी स्वीकार करते हैं ।

हिन्दी पाठों का प्रसारण :

अहिन्दी भाषियों को हिन्दी का ज्ञान कराने के लिए आकाशवाणी के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों से हिन्दी पाठों का प्रसारण किया जाता है। 1968–69 में केवल 5 केन्द्रों से पाठों का प्रसारण किया जाता था किन्तु इस समय 19 केन्द्रों से यह प्रसारण किया जा रहा है।

हिन्दी समाचार बुलेटिन :

प्रतिदिन नियमति रूप से 26 हिन्दी समाचार बुलेटिनें प्रसारित की जाती हैं। ये समाचार बुलेटिनें मूल रूप से हिन्दी में तैयार की जाती हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका के लिए हिन्दी में 3 विशेष समाचार बुलेटिनें भी प्रसारित की जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों/निगमों आदि में हिन्दी का प्रयोग :

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(2) और 3 (3) कंपनियों और निगमों आदि पर भी लागू होती है; इसलिए इनसे कहा गया था कि वे कानून की आवश्यकता के अनुपालन के लिए सभी कार्रवाइयाँ करें, अर्थात् टाइपराइटर खरीदें, हिन्दी का स्टाफ नियुक्त करें, फार्मों आदि का हिन्दी में अनुवाद कराएँ और अपने कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित कराएँ। उनसे आन्तरिक कामकाज में हिन्दी के उपयोग के बारे में एक क्रमिक कार्यक्रम बनाने के बारे में भी कहा गया था। इन उपक्रमों का काफी प्रशासनिक साहित्य हिन्दी में अनूदित हो चुका है और कई में हिन्दी अधिकारी और अनुवादक भी नियुक्त किए जा चुके हैं, परन्तु अभी इनमें काफी कुछ करना बाकी है।

•

विश्वविद्यालयों में हिन्दी :

पिछले दस वर्षों की अवधि में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाने में काफी प्रगति हुई है। 1965 में कुल 69 विश्वविद्यालयों में से केवल 28 विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों के शिक्षण के लिए हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाया गया था, किन्तु हिन्दी के बढ़ते हुए महत्व के कारण 1975 में कुल 90 विश्वविद्यालयों में से 43 विश्व विद्यालयों में हिन्दी को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपना लिया गया है। इन विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा में कला, समाज विज्ञान और विज्ञान के विषयों में हिन्दी को शिक्षण का माध्यम स्वीकार किया गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में विधि और चिकित्सा की शिक्षा

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ : प्रकाशन की प्रगति
संख्या हज़ार में
4
3
2
1
1685
2694
3200
1965
1970
1975

भी हिन्दी के माध्यम से ही जा रही है। आजकल 53 विश्वविद्यालयों में हिन्दी में स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन 53 विश्वविद्यालयों में से 25 अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित हैं।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण :

हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को शिक्षण के माध्यम के रूप में सुग्राह्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी की पुस्तकें तैयार करने के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय केन्द्र द्वारा सचालित योजना के अन्तर्गत पुस्तक निर्माण का व्यय भी वहन कर रहा है।

अब तक विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लगभग 854 पुस्तकें (मौलिक और अनूदित दोनों ही) प्रकाशित हो चुकी हैं।

विश्वविद्यालयों के हिन्दी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन का सुझाव :

राजभाषा विभाग की तरफ़ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुझाव देने का प्रस्ताव है कि उच्च स्तरों पर हिन्दी की पढ़ाई को दो धाराओं में बाँट दिया जाए। जो लोग साहित्य का गंभीर अध्ययन करना चाहें, उनके लिए साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था की जाए, किन्तु जो सरकारी कामकाज, कानून, वाणिज्य, व्यवसाय या पत्रकारिता के क्षेत्रों में हिन्दी का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। इस सुझाव के अनुसार कार्रवाई करने पर विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों को अच्छी नौकरियाँ मिल सकेंगी और सरकार को भी अपने काम के आदमी मिल सकेंगे।

हिन्दी में पत्र-पत्रिकाएँ :

हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 1965 में विभिन्न श्रेणी की 1685 पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं, किन्तु 1975 में यह संख्या बढ़ कर 3200 तक पहुँच गई है। (चार्ट सं० 7)

विदेशों में हिन्दी :

भारत सरकार ने विदेशों में भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजना तैयार की है। पहले उन क्षेत्रों को चुना गया है, जहाँ भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। इस दृष्टि से मारिशस, फ़िजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनीदाद, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड, कीनिया और मलेशिया जैसे 10 देशों को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में हिन्दी की स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देना, विदेशों के विद्वानों को आमंत्रित करना, हिन्दी अध्ययन-अध्यापन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, प्रकाशन को प्रोत्साहित करना, समाचार-पत्रों का विनिमय करना, विदेश स्थित मिशनों में हिन्दी पुस्तकों की समुचित व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

पिछले दशक में हिन्दी पढ़ने वाले विदेशियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। आज संसार के 30 देशों के 94 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है और बर्मा, फ़िजी, गुयाना, मारिशस, सूरीनाम, और त्रिनीदाद जैसे देशों में दर्जनों संस्थाएँ हिन्दी का प्रचार कार्य कर रहीं हैं। भारत सरकार ने फ़िजी और मारिशस स्थित मिशनों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए हैं और बल्गारिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, मैक्सिको, रूमानिया, यूगोस्लाविया, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनीदाद और फ़िजी में हिन्दी प्राध्यापकों की व्यवस्था की है।

भारत सरकार की ओर से विदेशियों को भारत में हिन्दी सीखने के लिए 500 रुपये की छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। अब तक 86 विद्यार्थी केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी का प्रशिक्षण ले चुके हैं।

हिन्दी के बारे में मंत्रालयों आदि के मार्गदर्शन के लिए बनाई गई समितियाँ :

केन्द्रीय हिन्दी समिति :

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिन्दी के प्रसार और विकास से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय करने के उद्देश्य से 5 सितम्बर, 1967 को केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया था। प्रधान मंत्री जी इस समिति की अध्यक्षा हैं और राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इसके सदस्य सचिव हैं। विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, विधि मंत्री, गृह मंत्री, संचार

मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री के अतिरिक्त कई संसद् सदस्य तथा विशिष्ट विद्वान इसके सदस्य हैं।

यह हिन्दी के प्रयोग आदि के मामलों में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च समिति है और इसके निर्णय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू होते हैं।

हिन्दी सलाहकार समितियाँ :

केन्द्रीय हिन्दी समिति के अलावा खास खास मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। संसद् सदस्य, हिन्दी की प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि, साहित्यकार, मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रुचि रखने वाले व्यक्ति तथा वरिष्ठ अधिकारी इनके सदस्य होते हैं। गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का मुख्य काम राजभाषा के बारे में नीति विषयक निर्णय लेना है । बाकी मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियाँ अपने अपने मंत्रालयों को उन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाती हैं और जहाँ कहीं कमी होती है, उसे पूरा करने के लिए कार्रवाई की सिफ़ारिश करती हैं । इस समय 7 मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ काम कर रही हैं। 10 और मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ शीघ्र ही बना दी जायेंगी। विदेश मन्त्रालय और रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमितियाँ काम कर रही हैं। (चार्ट सं॰ 8)

हिन्दी के प्रयोग को नियमित तौर पर जाँचने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी एक उप समिति बनाई है । यह समिति हिन्दी के प्रयोग की प्रगति देखती है, केन्द्रीय हिन्दी समिति के सामने पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को जाँचती है और उस संबंध में अपनी सिफ़ारिश केन्द्रीय हिन्दी समिति को प्रस्तुत करती है ताकि उन मामलों में निर्णय लेने में सुविधा रहे।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जो कुछ किया जा रहा है, उसे मौके पर जाकर देखने के लिये कुछ हिन्दी सलाहकार समितियों ने अपनी उपसमितियाँ भी बनाई हैं । इनके दौरों से काफी लाभ हुआ है और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है ।

चार्ट सं - 8
1975
1974
रक्षा
1973
विदेश
रेल
कृषि
डाकतार
1972
शिक्षा तथा समाजकल्याण
1968
सूचना तथा प्रसारण
1967
विधि
1964
गृह
हिन्दी सलाहकार समितियाँ
केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समितियाँ
निर्माणाधीन हिन्दी सलाहकार समितियाँ

उन कार्यालयों में जहाँ 25 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये उपाय सुझाती हैं। इन सबके ऊपर केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जो सभी केन्द्रीय दफ्तरों में किए जाने वाले हिन्दी सम्बन्धी कामों का समन्वय करती है।

राजभाषा हिन्दी की प्रगति में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान :

सरकार को इस सम्बन्ध में जो सफलता मिली है, उसका काफी श्रेय स्वैच्छिक संस्थाओं को जाता है। कुछ संस्थाओं (जैसे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा) ने अपने यहाँ हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध किया है। सरकारी कर्मचारी भी, जो अपने कामकाज के कारण हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते, इनकी परीक्षाओं में बैठते हैं। सफल परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ये संस्थाएँ हिन्दी पुस्तकालय और वाचनालय चलाने के अतिरिक्त हिन्दी के प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती हैं। हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में तो इन संस्थाओं का योगदान अपूर्व है ही। प्रतिवर्ष ऐसी लगभग 100 स्वच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार वित्तीय सहायता देती है। अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ सभी संस्थाओं को मार्गनिर्देशन देता है। सन् 1972 में संघ ने दिल्ली में एक अधिवेशन किया था, जिसमें हिन्दी के प्रयोग और प्रसार के बारे में काफी विचार-विमर्श किया गया था। इस वर्ष जनवरी, 1975 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और मारिशस के प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने इसकी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि हिन्दी को राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने के लिये जोरदार अपील की गई। सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में वर्धा में एक विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित डाक्टर श्यामसुन्दर दास जन्मशती समारोह भी उल्लेखनीय है। इस अवसर पर सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह पास हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई का तौर-तरीका बदला जाए और इसका पाठ्यक्रम व्यावहारिक बनाया जाए।

राजभाषा नीति का प्रचार :

राजभाषा नीति से अच्छी तरह परिचित न होने के कारण इसका इस्तेमाल करने में लोगों के मन में कुछ झिझक रही है। इस झिझक को दूर करने के लिये राजभाषा विभाग के कुछ अधिकारियों ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों के दौरे किए हैं। राजभाषा विभाग के सचिव ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों का दौरा किया है। जहाँ जहाँ वे गये हैं, वहां उन्होंने केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी दी है और हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

राजभाषा विभाग की स्थापना :

संविधान के राजभाषा सम्बन्धी उपबन्धों तथा यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के कार्यान्वयन, हिन्दी शिक्षण योजना और असांविधिक साहित्य के अनुवाद का काम कुछ समय पहले तक गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग देखता रहा है। इस काम के महत्व को देखते हुए 26 जून, 1975 को भारत सरकार ने दूसरे मंत्रालय या विभाग की तरह एक सचिव के अधीन स्वतन्त्र राजभाषा विभाग की स्थापना की है। इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:—

1. संविधान के राजभाषा से सम्बन्धित उपबन्धों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का कार्यान्वयन।

2. राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिये राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

3. संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामले।

4. संविधान, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश, राजभाषा-अधिनियम, 1963 और भाषा के बारे में सरकार के 18 जनवरी,

1968 के संकल्प के उपबन्धों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे राजभाषा से सम्बन्धित कार्यों का समन्वय ।

5. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना ।

6. केन्द्रीय हिन्दी समिति से सम्बन्धित मामले ।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से सम्बन्धित कार्य का समन्वय ।

8. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से सम्बन्धित मामले ।

उपसंहार

ऊपर दी गई जानकारी से पता चलेगा कि राजभाषा हिन्दी के चरण अपनी मंजिल की तरफ बराबर ही बढ़ते जा रहे हैं । निश्चय ही उनकी गति कुछ धीमी रही है, परन्तु भारत जैसे अनेक भाषाओं वाले देश में राजभाषा के मामले में, हमें सभी को साथ लेकर चलना है । दस वर्षों में जो कानून बनाए गए हैं और प्रशासनिक कार्रवाइयां की गई हैं उनसे सरकार का इरादा स्पष्ट हो जाता है और किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं रह जाती । प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बारे में सरकार के निश्चय को बार बार दोहराया है । 26 जून, 1975 से एक स्वतन्त्र राजभाषा विभाग की स्थापना सरकार के इस निश्चय का द्योतक है कि वह राजभाषा हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए कृतसंकल्प है ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी

● रमाप्रसन्न नायक

(सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार)

हमारे संविधान के प्रमुख आधार-स्तंभ हैं प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समता, एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन्हें हम तब तक सार्थक नहीं कर सकते, जब तक जनता का काम जनता की ही भाषाओं में न हो।

राष्ट्र होने के लिए, किसी भी देश के लिए यह जरूरी नहीं कि सारे देश की सिर्फ एक भाषा हो, सभी का एक धर्म हो, सभी एक प्रजाति के हों। जैसा मैंने अन्यत्र कहा है, "एक राष्ट्र होने के लिए आवश्यक है एक इतिहास, अतीत के सह-अनुभूत उत्थान और पतन की यादें, वर्तमान में राष्ट्र के सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एक व्रत, और भविष्य के लिए सँजोये सामूहिक स्वप्न और उन्हें साकार करने का संकल्प।" फिर भी केवल एक भाषा की अनिवार्यता न होते हुए भी, अलग-अलग भाषाओं के बीच एक कड़ी की जरूरत तो होती ही है।

यही कारण है कि भारत के संविधान के अनुसार, देवनागरी लिपि में, हिन्दी संघ की राजभाषा स्वीकार की गई है। अगर हिन्दी को इस सम्मान के लिए चुना गया है, तो इसलिए नहीं कि वह सब भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ मानी गई है, या सबसे पुरानी है, बल्कि इसलिए कि उसका ही देश में सबसे ज्यादा प्रसार और प्रचार है। साथ ही, भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वह हिन्दी का विकास इस प्रकार करे कि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

खेर आयोग (1955) और पंत समिति (1957) की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया (1967 में संशोधित) और विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से यह तय किया गया कि 1965 के बाद केवल हिन्दी ही संघ की राजभाषा

होगी, किन्तु अंग्रेजी के इस्तेमाल की छूट तबतक बनी रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधानमंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प न पारित करें और उनके संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद् के दोनों सदन भी ऐसा ही न करें।

हिन्दी का कार्यक्षेत्र :

विस्तृत योजना की रूपरेखा

इस तरह अब हम एक द्विभाषिक स्थिति से गुजर रहे हैं और इस बीच सरकार को हिन्दी का कार्यक्षेत्र क्रमश: विस्तृत करना है। अब केन्द्रीय सरकार के हर कर्मचारी को यह छूट है कि वह अपना काम हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर सकता है। साथ ही, जिन्हें हिन्दी नहीं आती, उन्हें हिन्दी में प्रशिक्षित करने का भी प्रबन्ध किया गया है, (हाल ही में हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम को एक नया और आधुनिक रूप दिया गया है) तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कई पुरस्कार योजनाएँ अमल में लाई जा रही हैं। आज लगभग तीन लाख सरकारी कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। भरती परीक्षाओं और विभागीय परीक्षाओं में भी हिन्दी को भाषा और माध्यम के रूप में क्रमश: अधिकाधिक स्थान दिया जा रहा है।

इसके सिवा कुछ विशेष कागज-पत्रों के लिए तो अंग्रेजी के साथ हिन्दी का भी प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, सूचनाएँ, अधिसूचनाएँ, संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले सभी कागज आदि। इतना ही नहीं, आज प्रत्येक हिन्दी पत्र का उत्तर हिन्दी में ही भेजना अनिवार्य कर दिया गया है—चाहे वह पत्र किसी व्यक्ति से आया हो, चाहे किसी संस्था से, अथवा किसी राज्य सरकार से। साथ ही केन्द्रीय सरकार ने यह भी तय किया है कि हिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्र से मूलत: भेजे जाने वाले सारे पत्र आदि भी हिन्दी में ही हों और यदि किसी ऐसे राज्य से अंग्रेजी में पत्र आए, तब भी उसका हिन्दी में ही उत्तर दिया जाए।

इस प्रकार के काम को सफल बनाने के लिए जो तैयारियाँ जरूरी होती हैं वे काफी हद तक पूरी कर ली गई हैं; जैसे, प्रशासनिक और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, अधिनियमों आदि का अनुवाद, टाइप राइटरों के कुंजीपटल का मानकीकरण आदि।

कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए सभी मंत्रालयों में कार्यान्वयन समितियाँ स्थापित की गई हैं और अशासकीय क्षेत्र से सलाह लेने के लिए अधिकांश मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनायी गई हैं। इन सबके ऊपर है स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय 'केन्द्रीय

हिन्दी समिति' जो सभी नीति सम्बन्धी विषयों पर अन्तिम निर्णय लेती है और सभी मंत्रालयों का मार्गदर्शन करती है। हिन्दी के काम के महत्व को देखते हुए सरकार ने हाल में ही में भारत सरकार के किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग की तरह एक सचिव के अधीन एक स्वतंत्र "राजभाषा विभाग" की स्थापना की है, जो संविधान और अधिनियमों के हिन्दी सम्बन्धी उपबन्धों के कार्यान्वयन के काम के साथ, सभी मंत्रालयों और विभागों के हिन्दी सम्बन्धी काम में समन्वय स्थापति करने का काम करेगा।

यहाँ तक तो हुई प्रक्रिया की बात! लेकिन राजभाषा का रूप कैसा हो, यह बात भी कम अहमियत नहीं रखती। एक तो हजारों की संख्या में नए शब्दों के प्रयोग की अनिवार्य आवश्यकता के कारण और दूसरे नए और अब तक अछूते, क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग की वजह से हिन्दी जाननेवालों को भी यह 'नई हिन्दी' कुछ अटपटी लगती है। फिर भी यदि सूझ बूझ से काम लिया जाये तो यह मुश्किल काफी हद तक दूर हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि उसका उपयोग करने वाले यह समझें कि हिन्दी का अंग्रेजी की जगह इसलिए लाया जा रहा है, ताकि सरकार का काम आम जनता की भाषा में ही किया जाए।

हिन्दी दुरूह क्यों बनती जा रही है?

अभी तक ज्यादातर सरकारी साहित्य अंग्रेजी में है और इसलिए उसे हिन्दी में लाने के लिए अनुवाद की शरण लेनी पड़ती है। नतीजा यह हुआ है कि न सिर्फ उस क्षेत्र बल्कि दैनंदिन काम में भी लोग अनुवाद के आदी हो चुके है, और बात तो यहाँ तक बढ़ी है कि हिन्दी जाननेवाले अधिकारी और कर्मचारी भी आदतन पहले अंग्रेजी में मसविदा तैयार करते हैं और फिर उसका हिन्दी अनुवाद करते हैं। इसके सिवा मौलिक रूप से हिंदी में लिखने में उन्हें अभी झिझक भी मालूम होती है। अगर इससे हिन्दी का रूप न बिगड़ता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया के अपनाए जाने के कारण हिन्दी अटपटी, बोझिल और दुरूह बनती जा रही है, साथ ही बनावटी भी; और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी अंग्रेजी वाक्य में हिन्दी के शब्द फिट कर दिये गए हों। इसमें सबसे अधिक खतरा यह है कि हिन्दी सिर्फ अनुगामिनी भाषा बन कर रह जाएगी और जनजीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आखिर हम अंग्रेजी की जगह हिन्दी को क्यों लाना चाहते हैं? इसीलिए न कि वह जनता की भाषा है और सरकारी कामकाज जनता की ही भाषा में होना चाहिए। लेकिन

अगर हिंदी की जगह यह नई अटपटी हिंदी लोगों पर लादने का प्रयत्न किया गया, तो वे ऊबकर, घबरा कर, चिढ़ कर यही कहेंगे कि इस हिन्दी से तो अंग्रेजी ही बेहतर थी। ऐसी हिन्दी से तो नजात तभी मिलेगी, जब लोग हिन्दी में ही मूल लेखन आरम्भ कर देंगे। ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है। सिर्फ मानसिक आलस्य को विदा करने का प्रश्न है। सरकार तो बार बार यह स्पष्ट कर हो चुकी है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए।

आम तौर पर यह देखा गया है कि विधि से संबंधित हिन्दी अत्यंत जटिल होती है। यदि उसे सरल करवाने का प्रयत्न किया जाए, तो यह कहा जाता है कि यदि बारीकी से अक्षरश: अनुवाद न किया गया, तो हिन्दी वाले रूप के अनेक अर्थ निकलने की आशंका है। सच पूछा जाए, तो यह झगड़ा भी अनुवाद के कारण ही उत्पन्न हुआ है और जब हिन्दी में मूल प्रारूपण होने लगेगा, तो बहुत हद तक यह झमा दूर हो जाएगी। लेकिन इस बीच अनुवाद के मामले में भी थोड़ी बहुत कोशिश से परिशुद्धता के साथ साथ हिन्दी की प्रकृति को भी अक्षुण्ण रखा जा सकता है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुवाद और उच्च न्यायालय पत्रिका एवं उच्चतम न्यायालय पत्रिका की भाषा से सिद्ध होता है।

वैसे कहने को तो इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं शायद दो चार लेखों में भी यह बात नहीं कह पाऊँगा, जो नीचे के कुछ उद्धरण अपने आप कह देंगे :

(1) 'यदि आवास सुविधा असज्जित है तो उतने किराये के समतुल्य रकम जो ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को आवास के आवंटन के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार, देय के रूप में अवधारित किया गया है या किया जाता।'

(2)'....और यत:.... अत: उक्त नियम के अनुसरण में....अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए... उक्त प्रस्तावों को एतद् द्वारा संभाव्यत: प्रभावित होनेवाले लोगों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।'

(3) 'विस्तृत नि० अ० सु० किसी भी कार्यशील दिन कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।'

(4)'निम्नांकित वस्तुओं के संभरणार्थ निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। वस्तुओं का सन्निकट मूल्य एवं सत्यंकार जो टेंडर प्रपत्र के साथ जमा कराना होगा...'

(5) 'डिस्पोजल पाइप लाइन के उत्थान हेतु'

(6) 'प्रेस निविदा सूचना-अधिशासी अभियंता, आवास प्रभाग सं० 12, फेज-3 में जनता टाइप 308 आवासीय ईकाइयों के निर्माण, एस, एच: आन्तरिक जल प्रदाय, सेनिटरी इंस्टालेशन एवं आन्तरिक विकास सहित भवन का भाग कार्य हेतु विकास प्राधिकरण, के० लो० नि० वि०, से० अभि, से ; राज्य लो. नि. वि., रेलवे के स्वीकृत एवं ग्राह्य ठेकेदारों से 21.8.75 को अप 3.00 बजे तक प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित करते हैं और उसी दिन अप 3.30 बजे खोली जायेंगी,

(7) 'उस दशा में जबकि चावियों की पारस्परिक अविनियमशीलता अधिक संख्या में अपेक्षित हो तब आर्डर देते समय क्रेता द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, "

(8) 'तेल की टंकी, तुरन्त और सुरक्षात्मक रूप से टंकी से दाबमोचन करने के लिए दाबमोचन पेंच से युक्त होगी ।'

(9) 'विभिन्न भागों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री ऐसी होगी, जो लालटेन के समस्त युक्तियुक्त स्थिति काल में उसके अच्छे कार्य को सनिश्चित करेगी।'

(10) 'काली चद्दर की वाल्टियाँ विनिर्माण के पश्चात तप्त निमज्जन से जस्तेदार की जाएंगी...मुक्री खाली वाल्टी को उसके ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए पानी में सीधा दवा कर वाल्टी की क्षरणअछेद्यता के लिए परख की जायेगी।"

(11) 'और उक्त तारीख के पूर्व तदधीन प्रोद्भूत और उद्भूत समस्त अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व ...तारीख तक निलंबित रहेंगे।'

(12) 'उक्त निकाय द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के लिए उस तारीख को.....तारीख तक एतद्द्वारा विस्तारित करती हैं।'

कठिनाई नए शब्दों के कारण नहीं होती : नये शब्द तो हमें सीखने ही पड़ते हैं और हम सीख लेंगे। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी गत कुछ ही वर्षों में हजारों नए शब्द आए हैं और लोग उन्हें सीख गए हैं लेकिन अनुवाद की अनगढ़ भाषा या हिन्दी की

प्रकृति को भुला कर लिखी जाने वाली विचित्र वाक्य विन्यासवाली भाषा तो इन नए शब्दों के साथ मिल कर 'करेला और नीमचढ़ा' वाली कहावत ही चरितार्थ करती है।

अब तक तो भारतीय जनता अंग्रेजी इस्तेमाल करनेवाले अभिजात वर्ग से त्रस्त थी, और यदि उस "आभिजात्य" के स्थान पर यह नया "आभिजात्य" आ गया, तो जनता फिर वहीं की वहीं रह जाएगी, इसलिए हमें ऐसी क्लिष्ट भाषा से हर हालत में दूर रहना चाहिए।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता

मैंने बाबू श्याम सुंदर दास जन्मशती समारोह में यह सुझाव दिया था कि उच्च स्तरों पर हिन्दी की पढ़ाई को दो धाराओं में बाँट दिया जाए। जो लोग साहित्य का गंभीर अध्ययन करना चाहते हों, वे अवश्य वैसा करें किन्तु जिनको आधुनिक युग में सरकारी कामकाज, कानून, वाणिज्य तथा व्यवसाय या पत्रकारिता के क्षेत्रों में हिन्दी का उपयोग करना है, उनके लिए एक अलग ही पाठ्क्रम की व्यवस्था की जाए। यदि मेरे इस सुझाव के अनुसार कार्रवाई की गई तो ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ कर विश्वविद्यालययों से आनेवाले विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल सकेगी, और सरकार को अपने काम के आदमी मिल सकेंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी हिन्दी लोगों की समझ में आएगी।

संक्रमण काल में सरकार ने यह नीति अपनाई है कि पारिभाषिक शब्दावली के फेर में न पड़ कर अपनी बात दूसरों तक सहज ही पहुँचाने के उद्देश्य से लोगों को बेझिझक ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें रवानी हो। अगर पारिभाषिक शब्द ज्ञात हो तो क्या कहना, लेकिन अगर तुरन्त पारिभाषिक शब्द याद न आए, तब भी शब्दसागर में गोता लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि आम तौर पर प्रचलित अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों का बेधड़क प्रयोग किया जाए। पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस नीति के फलस्वरूप अब काफी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की झिझक दूर होती जा रही है और हिन्दी का प्रयोग अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में जो संसदीय समिति इस सम्बन्ध में सरकार के काम का लेखाजोखा लेगी उसे स्थिति पहले से कुछ बेहतर मिलेगी।

मैं ऊपर कह आया हूँ कि सरकार की नीति इस मामले में 'साम' की नीति है, 'दण्ड' की नहीं । फिर भी लोग यह कहते सुने गए हैं कि क्यों न सरकार तुरन्त हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दे और देखते देखते सारा काम हिन्दी में होने लगेगा । वे यह भूल जाते हैं कि हमारा देश एक बहुभाषी देश है और किसी भी बहुभाषी देश में ऊपर से किसी एक भाषा को नहीं लादा जा सकता । जैसे जैसे त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, अधिक से अधिक संख्या में, इस देश के पढ़े-लिखे लोग प्रादेशिक भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी तीनों का ज्ञान प्राप्त करते जाएँगे, वैसे वैसे उन्हें हिन्दी का प्रयोग करने में आसानी होती जायेगी । लेकिन इसके साथ ही हिन्दी-भाषियों के ऊपर एक खास जिम्मेदारी, आ जाती है । यह काफी नहीं कि वे दूसरों से यह अपेक्षा करें कि वे तो हिन्दी सीखें, लेकिन वे स्वयं किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखने का प्रत्यन न करें । आज स्थिति यह है कि अधिकांश हिन्दी भाषी क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार एक अहिन्दीभाषा अनिवार्य रुप से नहीं पढ़ाई जा रही है , जिसका अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । इस सूत्र के अनुसार कार्यवाही करने से एक ओर तो भाषा सीखने का भार सभी पर समान हो जाएगा, दूसरे सांस्कृतिक समन्वय भी स्थापित होगा ।

हमारे देश की यह खासियत रही है कि हम महत्वपूर्ण मामलों पर मिलजुल कर ही निर्णय लेते हैं और एक दूसरे के प्रति उदारता की नीति बरतते हैं । ग्रैनविल आस्टिन ने कहा हैं कि संविधान बनाने के क्षेत्र में ये दो सिद्धांत भारत के मौलिक योगदान हैं । हमें भाषा के प्रश्न को भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सुलझाना है । हमें विविधता में एकता लानी है और किसी एक भाषा द्वारा अन्य भाषाओं को आत्मसात करने के स्थान पर उनमें समन्वय करने की नीति अपनानी है । फलस्वरूप जहां प्रदेशों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं प्रयोग में लाई जाएँगी, वहां सारे भारत को एक कड़ी में जोड़ने के लिए हिन्दी का उपयोग किया जाएगा । संघ के क्षेत्र में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने में उसी हद तक सफलता मिलेगी, जिस हद तक क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाएँ प्रतिष्ठित होती हैं, क्योंकि वे ही वहाँ की जनभाषाएँ हैं ।

हो सकता है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ समय लगे, लेकिन ऐसे मामलों में जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है । यदि हमारा लक्ष्य निश्चित हो, हमारी दिशा सही हो और कदम मजबूत, तो हम अपनी मंजिल पर, पहुँचेंगे जरूर ।